



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10437

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44849 / 2025

शारदा प्रसाद उर्फ गोलू.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : राकेश कुमार

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक शारदा प्रसाद उर्फ गोलू की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उसे पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला चित्रकूट में दर्ज मुकदमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध संख्या 693/2025, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के तहत जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि आवेदक के कब्जे से 5 किलोग्राम 159 ग्राम गांजा की बरामदगी अभिकथित है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में ऐसी कोई बरामदगी आवेदक से नहीं हुई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसी बरामदगी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः उसे अपराध में मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का कठोरता से पालन नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक, जो दिनांक 10.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, जिसका एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसका पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रतिवाद किया कि आवेदक की निर्दोषता का न्यायनिर्णयन विचारण के चरण से पूर्व नहीं किया जा सकता, जो विनिषिद्ध की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर मिलने वाले दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक का चरित्र, अभियुक्त से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की युक्तियुक्त संभावना,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका, लोक/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि यह जमानत प्रदान करने का उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः आवेदक **शारदा प्रसाद उर्फ गोलू**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान साक्षियों को धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा या कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के भंग होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास का प्रमाण-पत्र सत्यापित किया जाएगा।

16 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।